

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)आं.जां./आं.जां.का./2024-25/ई-फाईल-29335/

दिनांक:

-आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12(प्रोग्राम)/आं0जा0का0/2024-25/104 दिनांक 08/01/2025 के जारी अंकेक्षण कार्यक्रम के क्रम सं. 04 पर अंकित दल को आवंटित कार्यालय एनएचएम खण्ड बीकानेर का अंकेक्षण कार्य दिनांक 28.02.2025 को समाप्त होने उपरान्त इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3493 दिनांक 27/12/2024 के द्वारा जारी अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की निम्नानुसार अनुमति दी जाती है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	डीडीओ कोड	अंकेक्षण लेखा अवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
1	श्री गुलाब चन्द कुम्हार AAO-I श्री रोशन लाल AAO-II जोन-बीकानेर	सीएचसी, खाजूवाला (बीकानेर) सीएचसी, रावतसर (हनुमानगढ़)	22717	04/20 से 03/24	05.03.25 से 22.03.25 24.03.25 से 26.03.25

1. अन्य समस्त दिशा-निर्देश आदेश क्रमांक 3493 दिनांक 27.12.2024 के अनुसार यथावत रहेंगे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)आं.जां./आं.जां.का./2024-25/ई-फाईल-29335/ 706

दिनांक: 06/3/25

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-बीकानेर।
4. प्रभारी/सदस्य आन्तरिक जांच दल को पालनार्थ।

5. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Digitally signed by Vinita Gupta
Designation: Financial Advisor
Date: 2025.03.06 12:51:50 IST
Reason: Approved

